वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, क्षेत्रीय मण्डल, गुरुग्राम,
वन परिसर, सोहना रोड़, गुरुग्राम, दूरभाष–0124–2322057

क्रमांक:– 572-C
दिनांक:– 04/7/2022

सेवा में,

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०),
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सी–18, वन भवन, सैक्टर–6,
पंचकूला, हरियाणा।

विषय:– **Diversion of 0.0056 hac. of Forest Land for access to retail outlet of IOCL along Makrola approach road km.1-2, L/side, at village Makrola, under Forest Division & Distt. Gurugram. (Proposal No. FP/HR/Others/10071/2015)**

सन्दर्भ:– **प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार का पत्र कमांक यादि कमांक 410–व–5–2016/10886 दिनांक 21.06.2016**

****

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि उक्त प्रस्ताव में प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार के पत्र कमांक यादि कमांक 595–व–5–2016/3243 दिनांक 26.02.2016 द्वारा सैधांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तदोपरांत क्षतिपूर्ति पौधारापण स्कीम अनुसार प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा 20,349/- रुपये की राशी बैंक ड्राफ्ट संख्या 146320 दिनांक 09.03.2016 को जमा करवा दी गई थी। जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्र कमांक 12-G दिनांक 01.04.2016 द्वारा आपके कार्यालय में भेजी गई थी। उसके उपरांत **प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार का पत्र कमांक यादि कमांक 410–व–5–2016/10886 दिनांक 21.06.2016 (प्रति सलंग्न)** द्वारा उक्त केस में फाईनल स्वीकृति जारी की गई। परन्तु अब यह प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर डी.एफ.ओ. लम्बित दर्शा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृप्या प्रस्ताव को पोर्टल पर approved करवाने का कष्ट करें।

सलंग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम।

पृ०क०: दिनांक:

एक प्रति मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम को सूचनार्थ प्रेषित है।

sd/-
उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम।

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

सेवा में

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकूला।

यादि कमांक 410-व-5-2016/10886
चण्डीगढ़ दिनांक 21.6.16

विषयः **Diversion of 0.0056 ha. forest land for access to retail outlet of I.O.C. Ltd. along Makrola approach road km, 1-2, L/side, at village Makrola, under forest and District Gurgaon, Haryana.(6400)**

संदर्भः- आपका पत्र कमांक डी-III-6400/758 दिनांक 09.06.2016.

कृपया उपर्युक्त विषय पर आप द्वारा संदर्भाधीन 0पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. विभाग के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु 0.0056 ha. वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने पर प्रदान की जाती है:-

(i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

(ii) प्रस्ताव के अनुसार इस स्कीम में कोई वृक्ष बाधक नही है। अतः कोई वृक्ष काटा नही जायेगा।

(iii) प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार **R.F. Sarbasirpur** पर प्रयोक्ता एजैन्सी से प्राप्त 20,349/-रु **(twenty thousand three hundred forty nine only)** की राशि से 20 पौधे लगा कर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधरोपण इस पत्र के साथ जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर-- हो जाना चाहिए।

(iv) प्रतिपूर्ति पौधारोपण के साथ-साथ उपयुक्त पौधारोपण पहुच मार्ग, विभाजन द्वीप व अन्य खाली स्थान पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वर्तमान विनियमों के अनुसार किया जायेगा।

(v) प्रवेश एवं निकास को छोड कर बाकी हिस्से पर कुछ बुटेदार तथा सजावटी पेड पौधे लगाये जाने चाहिए तथा इस भूमि का कोई व्यापारिक प्रयोग नही होना चाहिए और न ही इस पर कोई निर्माण कार्य होना चाहिए।

(vi) इस प्रस्ताव को 15 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति राज्य सरकार से प्राप्त करनी होगी।

(vii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11.07.2014 को जारी दिशा-निर्देशों का पालन अवश्य किया जायेगा।

(viii) पेट्रोल पम्प की पूरी परिधि **(Periphery)** पर दिवार से 1.5 मीटर जगह छोडकर 1.0 से 1.5 मीटर के अन्तराल पर **Light Crown** पेडो का वृक्षारोपण किया जाये।

(ix) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।

(x) **Supreme Court** के आदेशानुसार जब कभी भी **NPV** की राशि बढाई जायेगी तो उस बढी हुई **NPV** की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेन्सी बाध्य होगी।

(xi) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नही पहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किये जायेगें।

(xii) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नही किया जायेगा।

(xiii) राज्य सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नही जायेगा।.

(xiv) वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।

(xv) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेगे जिसके लिए प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वर्तमान दरो पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

FCA
22/6/16

715-G
29/6/16

3

(xvi) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवायेगी ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।

(xvii) प्रयोक्ता एजैन्सी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणि समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।

(xviii) स्थानान्तरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फिट ऊंचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जायेगी।

(xix) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।

(xx) अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।

(xxi) प्रयोक्ता एजैन्सी उपरोक्त शर्तों की वार्षिक स्व-अनुपालना रिपोर्ट प्रधान-मुख्य वन संरक्षक हरियाणा को नियमित रूप से भेजेगी।

(xxii) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेने विभाग की जिम्मेवारी होगी।

विशेष सचिव,
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग ।

प्रतिलिपि:-
1. वन मण्डल अधिकारी, गुडगांव।

पृ0 क्रमांक/ 1197-99-G. दिनांक/ 1/7/16

एक प्रति निम्न को:-

1. ईन्चार्ज लेखाशाखा, गुडगांव वन मण्डल को सी0ए0 स्कीम की प्रति सहित पत्र में अंकित शर्त नं0 iii की अनुपालना हेतु प्रेषित है।
2. वन राजिक अधिकारी, गुडगांव को पत्र में अकिंत शर्तो की अनुपालना हेतु प्रेपित है।
3. Deputy Manager Retail Sales Area-II, Gurgaon Division, Gurgaon को पत्र में अंकित शर्तो की पालना हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक,
गुडगांव।